



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-28072025-265023
CG-CG-E-28072025-265023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3380]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3380]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

रेल मंत्रालय

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

अधिसूचना

बिलासपुर, 21 जुलाई, 2025

का.आ. 3457(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त विवरण सलग अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखौली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु उड़ीशा, छत्तीसगढ़ एवम् महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है एतद द्वारा अधिग्रहण करने के आशय की घोषणा करती है। उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी यानी अनुविभागीय अधिकारी (रा०) रायपुर छत्तीसगढ़, को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो तो करने के पश्चात जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुगत या अननुगत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन एवं अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंड्रा रोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना रहित या सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण –

जिला –बिलासपुर					राज्य छत्तीसगढ़				
क्र.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.न. नम्बर	खसरा नम्बर	खसरा का कुल रकबा (हे०) में	खसरा का अर्जित रकबा (हे०) में	भू स्वामी का नाम	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा०), बिल्हा, जिला-बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा, (कोरियापारा)	प.ह.न. - 40	1494	0.178	0.0385	जवाहर पिता दुजराम	निजी भूमि
2					1495/2	0.182	0.1820	गुड्डा उर्फ संतोष पिता दुजराम	निजी भूमि
3					1495/3	0.397	0.2420	झाड़ू वगैरह	निजी भूमि
4					1497/2	0.304	0.0302	रामलाल पिता झडी	निजी भूमि
5					1496	0.012	0.0120	अशोक पिता दुजराम	निजी भूमि
6					1497/10	0.202	0.2020	अशोक पिता दुजराम	निजी भूमि
7					1497	2.755	0.1011	आसाराम पिता दुर्गा गंगा बेवा पंचम दुजराम अजितराम पिता परसु कोरी	निजी भूमि
8					1497	2.755	0.1031	आसाराम पिता दुर्गा गंगा बेवा पंचम दुजराम अजितराम पिता परसु कोरी	निजी भूमि
9					1495/4	0.388	0.3880	कैलाश दयालानी पिता इंद्रलाल	निजी भूमि
10					1495/1	0.178	0.0364	जवाहर पिता दुजराम	निजी भूमि
					Total		1.3353		

[फा. सं. सीपीएम/इले/2 x 25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./ 20 A / 1022]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

S.E.C.Railway

NOTIFICATION

Bilaspur, the 21st July, 2025

S.O. 3457(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa – Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh and Maharashtra over SEC railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 20 (D) of the said act.

Every objection shall be made to the competent authority namely, Sub Divisional Magistrate (Revenue) Raipur , Chhattisgarh in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of section 20 (D) of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa- Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Chhattisgarh.

District- Bilaspur					State- Chhattisgarh				
SN	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Patwari halka No.	Khasra Number	Total area of the plot (Hectare)	Acquired area in the plot (Hectare)	Details of land owner	Type of land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SDM (Rev) Belha, Distt- Bilaspur	Bilaspur	Tifra, (Koriyapara)	P.H.No.-40	1494	0.178	0.0385	Jawahar S/o Dujram	Niji Bhumi
2					1495/2	0.182	0.1820	Gudda urf Santosh S/o Dujram	Niji Bhumi
3					1495/3	0.397	0.2420	Jhadu wagairah	Niji
4					1497/2	0.304	0.0302	Ramlal S/o Jhari	Niji
5					1496	0.012	0.0120	Ashok S/o Dujram	Niji Bhumi
6					1497/10	0.202	0.2020	Ashok S/o Dujram	Niji Bhumi
7					1497	2.755	0.1011	Aasharam S/o Durga ganga Widow of Pancham Dujram Ajitram S/o Parsu Kori	Niji Bhumi
8					1497	2.755	0.1031	Aasharam S/o Durga ganga Widow of Pancham Dujram Ajitram S/o Parsu Kori	Niji Bhumi
9					1495/4	0.388	0.3880	Kailash dayalani S/o Indralal	Niji Bhumi
10					1495/1	0.178	0.0364	Jawahar S/o Dujram	Niji Bhumi
					Total		1.3353		

[F. No. CPM/Elc. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 A/1022]
ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer/Con.